संख्या-28/2025-320-1-22-4-2025-1911582

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में गृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या-25 के राजस्व लेखाशीर्षक 2056 के लघुशीर्ष 001-03-निदेशन तथा प्रशासन के अन्तर्गत मानक सद 01-वेतन में उपलब्ध बचत रू0 41.56 लाख से समलघुशीर्ष 001-03-निदेशन तथा प्रशासन के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों में रू0 20.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-11928/नजारत(5)/202जारत(5)/2025, दिनांक 12-03-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में गृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या-25 के राजस्व लेखाशीर्षक 2056 के लघुशीर्ष 001-03-निदेशन तथा प्रशासन के अन्तर्गत मानक सद 01-वेतन में उपलब्ध बचत रू0 41.56 लाख से समलघुशीर्ष 001-03-निदेशन तथा प्रशासन के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों में रू0 41.56 लाख की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 12-03-2025 के माध्यम से प्राप्त पुनर्विनियोग प्रस्ताव पर कतिपय शर्तो के अधीन रू0 20.00 लाख की धनराशि निम्नानुसार पुनर्विनियोजित की गयी है, जिसे नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है:-

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	**लेखाशीर्ष**	**मानक मद**	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग**	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत**	**संक्रमित की जाने वाली धनराशि**	**वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि**	**संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग**	**वित्तीय वर्ष**
025	2056000010300 (मुख्य--)	01 (वेतन)	13,93,16,000 रुपये तेरह करोड़ तिरानबे लाख सोलह हजार मात्र	41,56,000 रुपये इकतालीस लाख छप्पन	41,56,000 रुपये इकतालीस लाख छप्पन	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	13,73,16,000 रुपये तेरह करोड़ तिहत्तर लाख सोलह हजार मात्र	2024-2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
				हजार मात्र	हजार मात्र			
कुल					₹ 41,56,000	₹ 20,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
025	2056000010300 (मुख्य--)	49 (चिकित्सा व्यय)	42,00,000 रुपये बयालीस लाख मात्र	21,64,000 रुपये इक्कीस लाख चौंसठ हजार मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	52,00,000 रुपये बावन लाख मात्र	2024-2025
025	2056000010300 (मुख्य--)	47 (कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय)	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	11,87,000 रुपये ग्यारह लाख सत्तासी	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	17,00,000 रुपये सत्रह लाख मात्र	2024-2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
				हजार मात्र			
025	2056000010300 (मुख्य--)	29 (अनुरक्षण)	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	4,01,000 रुपये चार लाख एक हजार मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	22,00,000 रुपये बाईस लाख मात्र	2024-2025
025	2056000010300 (मुख्य--)	22 (आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि)	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	1,33,000 रुपये एक लाख तैंतीस हजार मात्र	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	2024-2025
025	2056000010300 (मुख्य--)	08 (कार्यालय व्यय)	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	2,71,000 रुपये दो लाख इकहत्तर हजार मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	27,00,000 रुपये सत्ताईस लाख मात्र	2024-2025
कुल				₹ 41,56,000	₹ 20,00,000		

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 एवं 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

(2) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में महानिरीक्षक कारागार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(3) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) महानिरीक्षक कारागार द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2025 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2056000010300 (मुख्य--)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	025	2056000010300 मुख्य--	08 कार्यालय व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
2	025	2056000010300 मुख्य--	22 आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
3	025	2056000010300 मुख्य--	29 अनुरक्षण	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
4	025	2056000010300 मुख्य--	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
5	025	2056000010300 मुख्य--	49 चिकित्सा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
	कुल			**20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)**
महायोग	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)			

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-28/2025-320-1-22-4-2025-1911582, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(6) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्यय) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।